राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–6)विभाग

क्रमांकः–प0 3(2)राज–6/2003/पार्ट/113 जयपुर, दिनांकः– 24-10-17

समस्त
जिला कलक्टर
राजस्थान।

–:परिपत्रः–

राज्य में रास्ते संबंधी समस्याओं के निराकरण हेतु पिछले वर्ष चलाये गये इस अभियान बाबत समसंख्यक परिपत्र दिनांक 10.08.16 जारी किया गया था। इस अभियान के दौरान राज्य में हजारों की संख्या में रास्ते संबंधी समस्याओं का निराकरण किया गया था। अभियान चलाये जाने के पश्चात अभी भी अनेक ग्रामों में रास्ते संबंधी समस्याऐं लम्बित चल रही है। रास्ते संबंधी अनेक समस्याऐं आरसीएमएस पोर्टल पर दर्ज की जा रही है। रास्तो संबंधी समस्या के पूर्ण निराकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा अक्टूबर 2017 के चौथे सप्ताह से दिसम्बर 2017 के अंत तक रास्ते संबंधी अभियान चलाये जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः इस संबंध में निर्देशानुसार लेख है कि कृपया आपके जिले में रास्ते संबंधी समस्या निराकरण अभियान अक्टूबर माह के चौथे सप्ताह से दिसम्बर 2017 के अन्तिम सप्ताह की अवधि में चलाया जावे। रास्ते संबंधी दिशा–निर्देश परिपत्र दिनांक 10.08.16 में दिये गये है। इन दिशा–निर्देश अनुसार ही यह अभियान चलाया जाना है। अभियान की साप्ताहिक रिपोर्ट सरकार को संलग्न प्रारूप में भिजवाने की व्यवस्था करावे।

संलग्न :– प्रारूप।

भवदीय,

24/10

(रामनिवास जाट)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया ।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय (स्वतंत्र प्रभार) राजस्व विभाग।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय।
4. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, राजस्व।
5. समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।
6. निबन्ध, राजस्व मण्डल अजमेर।
7. राविरा अजमेर।
8. रक्षित पत्रावली।

24/10

संयुक्त शासन सचिव

–:रास्ते संबंधी प्रकरणो के निस्तारण की सूचना का प्रपत्रः–

क्र.स.	विवरण	संख्या
1.	राजकीय भूमि / निजी खातेदारी की भूमि में से मौके पर स्थाई रूप से चालू रास्तो जो दर्ज नहीं हैं उनकी संख्या।	
2.	राजस्व अभिलेख में किसी भी रूप में दर्शित नहीं है को अभिलेख में दर्ज किये रास्तो की संख्या।	
3.	काश्तकार द्वारा अपने खेत पर जाने हेत दूसरे काश्तकार की खातेदारी भूमि से नया रास्ता चाहने बाबत धारा 251–A में लम्बित प्रकरणों की संख्या एवं निस्तारित प्रकरणों की संख्या।	
4.	खाता विभाजन के समय रास्ते के प्रावधान किये जाने हेतु निस्तारित प्रकरणों की संख्या ।	
5.	पुख्ता / कटानी / कदीमी रास्तो पर किये गये अतिक्रमणो की संख्या एवं कितने मामलो में अतिक्रमण हटाये गये है की संख्या।	